प्र.सं. 98/2023 Online No. 2023/133 भंवरलाल व अन्य / मोतीराम व अन्य

30/5/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील के जिसमें पैरवी पर अनुपस्थित विपक्षीगण को बार-बार विधिवत आवाजें लगवाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षीगण अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस एक तरफा सुनी गयी, अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर प्रमाणित फाईल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98 / 2023	09.03.2023	30.05.2023

अनवान

1. भंवर लाल पुत्र अम्बालाल उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. मुन्ना उर्फ हुक्मराज पुत्र श्री अम्बालाल उपाध्याय जाति ब्राह्मण, निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. मुरलीधर पुत्र श्री अम्बालाल उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. गोपाल लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश उर्फ उमाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश उर्फ छोटूलाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टेण्ड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. देबीलाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी आजाद नगर चौराहा, आजाद नगर, भीलवाड़ा
7. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश उर्फ उमा शंकर जाति ब्राह्मण निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश उर्फ उमा शंकर जाति ब्राह्मण निवासी देवली रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. राधेश्याम पुत्र श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी बापू नगर, भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भोलीराम पुत्र श्री भूरालाल तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी स्टेडियम रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती फूली पत्नी श्री भूरालाल तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी स्टेडियम रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती धापू पत्नी श्री गणेश तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी स्टेडियम रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. भैरू तेली पुत्र श्री प्रभु तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
5. श्रीमती शांति पत्नी श्री प्रभु तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
6. सुमन पुत्री श्री प्रभु तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
7. टीना पुत्री श्री प्रभु तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

8. लीला पुत्री श्री प्रभु तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
9. गोपी पुत्र श्री नाराण तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीटल के पास, बाजार रोड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
10. रामपाल पुत्र श्री नाराण तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी ग्यारस माता मंदिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. रतन पुत्र श्री नाराण तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी चोपा चौक, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
12. लादू पुत्र केसु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेरा पंथ भवन के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
13. पप्पू पुत्र गणेश तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीटल के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
14. जगदीश पुत्र गणेश तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
15. छोटू पुत्र छोगालाल अठारिया जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी अठारिया मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. शिवलाल पुत्र छोगाला अठारिया जाति ब्राह्मण उम्र वयंस्क निवासी अठारिया मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा–राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र विश्नोई– प्रार्थीगण
एक तरफा– अप्रार्थीगण

<u>–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनिंयम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू.अभि.नि. क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत 2069–73 के खाता संख्या 1632 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4509 रकबा 0.2908 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की स्थित है। विपक्षीगण, प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की उपरोक्त आराजियात के चारों दिशाओं के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के मध्य मुस्तकील सीमा चिह्न नहीं होने से पक्षकारान् के मध्य फसल काश्त करते समय मेड़ पाली में विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिह्न स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नंकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू.अभि.नि. क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत 2069–73 के खाता संख्या 1632 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 4509 रकबा 0.2908 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.2023

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा